न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री प्रवीण कुमार (IAS)

राजस्व प्रकरण संख्या–6 / 2008 दायर तारीख 04.03.2008

186 / 2010 29.04.2010

शंकरलाल पिता गुलाब जाति धाकड उम्र 60 साल व्यवसाय कृषि निवासी बडा नयागांव तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

............वादी

बनाम

1. भवानी पिता गुलाब जाति धाकड उम्र 52 साल व्यवसाय कृषि निवासी बडा नयागांव तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
2. श्रीमती नन्दू बाई पति गोपाल पुत्री देवाजी निवासी लक्ष्मीखेडा जाति धाकड निवासी जलेरी का नयागांव हाल बडा नयागांव तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
3. नरेश कुमार पिता भवानीलाल जाति धाकड उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी बडा नयागांव तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
4. राजूलाल पिता भवानीलाल जाति धाकड उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी बडा नयागांव तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
5. राजस्थान सरकार मार्फत तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाडा

..........प्रतिवादीगण

उपस्थित:–

गिरधारीलाल आचार्य अधिवक्ता वादी

छीतरलाल धाकड अधिवक्ता प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188–53 रा0टि0एक्ट0

:- निर्णय: दिनांक 15.05.2018

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादीगण ने एक नियमित राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 183–188–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध प्रतिवादीगण उपखण्ड न्यायालय माण्डलगढ में प्रस्तुत किया जो इस न्यायालय को मुन्तकिल हुआ। वादी ने वादपत्र में अंकित किया कि वादी प्रतिवादी नं0 एक व स्व0 रुपलाल धाकड एक ही पिता स्व0 गुलाब धाकड की पुरुष संताने है इस कारण सगे भाई है। स्व0 गुलाब धाकड के कोई लडकी नही हुई एंव न ही वादी प्रतिवादी नं0 एक एंव स्व0 रुपलाल की माता जीवित है। स्व0 गुलाब धाकड की मृत्यू के पश्चात उनकी खातेदारी में अभिलिखित कृषि भूमि पुश्तैनी जायदाद होने से स्व0 गुलाब धाकड के पुत्रों वादी प्रतिवादी नं0 एक एंव स्व0 रुपलाल के संयुक्त खाते में अभिलिखित की गई। जो वर्तमान तक संयुक्त अविभाज्य रुप से उनके कब्जे काश्त में चली आ रही है एंव रुपलाल धाकड की मृत्यू 08.11.2007 को हो चुकी है। स्व0 रुपलाल धाकड का विवाह श्रीमती नाथी बाई पुत्री रतनलाल धाकड निवासी जोलास तहसील बिजौलियां के साथ हिन्दू विधि एंव प्रचलीत जाति रिवाज के अनुसार हुआ था। जो काफी अर्सा पूर्व उन्हे छोड कर चली गई। वह श्रीमती नाथी बाई के अतिरिक्त अन्य किसी महील से स्व0 रुपलाल धाकड का विवाह हिन्दू रिति रिवाज एंव धार्मिक रिवाज के अनुसार सम्पादित नही हुआ। स्व0 रुपलाल की मृत्यू निसंतान हुई इसीलिये उनके निकटतम उत्तराधिकारी उनके सगे भाई वादी एव प्रतिवादी नं0 एक के अतिरिक्त कोई भी उनका जीवित उत्तराधिकारी नही है। प्रतिवादीया नं0 दो एंव रुपलाल धाकड के विवाहिता पत्नि नही है एंव न ही स्व0 रुपलाल का विवाह हिन्दू विवाह विधि में मान्यता प्राप्त व्यवस्था के अनुसार सम्पादित हुआ है प्रतिवादीया नं0 दो विधि के प्रभाव से स्व0 रुपलाल धाकड की वैधानिक पत्नि नही है। यदि प्रतिवादीया नं0 दो के कोई शारीरिक संबंध एंव रुपलाल धाकड से स्थापित किये हुये

नं0 दो स्वामीनी है। प्रतिवादीया नं0 दो का स्व0 रुपलाल धाकड द्वारा अपने पीछे छोडी गई किसी अचल सम्पती पर उसका वास्तविक व कानूनी रुप से कब्जा भी नही है। स्व0 रुपलाल धाकड वादी एंव प्रतिवादीया नं0 एक के संयुक्त खातेदारी अभिलिखित अगिगाज्य कृषि सम्पती का प्रतिवादी नं0 तीन द्वारा पोषित वर्तमान राजस्व अभिलेखों में विवरण निम्नानुसार अभिलिखित है। मौजा नयागावं प0ह0 थडोदा के खाता संख्या 409 जमाबंदी सम्वत् 2061 से 2064 के अनुसार नाम खातेदार शंकरलाल, रुपलाल, भवानीलाल पिता गुलाब धाकड साकिन देह खातेदार की आराजी नं0 219, 220, 272, 275, 469, 642, 1271/639, 1274/633, 1277/634, 1286/632 कुल किता 10 रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा भूमि उक्त वर्णित कृषि खातेदारी भूमि मे वादी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नं0 एक का 1/3 हिस्सा एंव रुपलाल धाकड का 1/3 हिस्सा है। रुपलाल की मृत्यू के पश्चात वादी का 1/2 व प्रतिवादी नं0 एक का 1/2 हिस्सा है। प्रतिवादीयां नं0 दो प्रतिवादी नं0 तीन को 1/3 हिस्सा अवैध रुप से विक्रय कर दिया जो मूलतः अवैध व शुन्य प्रभावी है।

मोजा मानपुरा प0ह0 थडोदा के खाता संख्या 155 जमाबंदी सम्वत् 2062 से 2065 के अनुसार नाम खातेदार शंकरलाल, रुपलाल, भवानीलाल पिता गुलाब धाकड साकिन देह खातेदार की आराजी नं0 534/453, 536/453, 537/456, 539/456, 541/458, 542/560, 548/457, 550/457, 553/457, 555/457 कुल किता 10 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा कृषि खातेदारी भूमि मे वादी को 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नं0 एक का 1/3 हिस्सा एंव स्व0 रुपलाल धाकड का 1/3 व प्रतिवादी नं0 एक का 1/2 हिस्सा है। गोजा केशूविलास स्थित खाता संख्या 178 पर स्थित कृषि खातेदारी भूमि खसरा नं0 370/195 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा स्व0 रुपलाल की खातेदारी में अभिलिखित थी। जिसे प्रतिवादीयां नं0 दो द्वारा अपने को स्व0 रुपलाल की पत्नि बता खाता परिवर्तन करवा लिया और भूमि को जरिये अवैध विक्रय इकरार के प्रतिवादी नं0 तीन व चार को विक्रय कर दिया जबकि प्रतिवादीया नं0 दो को उक्त खसरा नं0 की भूमि की खातेदारी प्राप्त करने का कोई अधिकार नही था। प्रतिवादी नं0 तीन व चार को अवैध व मूलतः शुन्य प्रभावी विक्रय से किसी प्रकार की खातेदारी एंव कब्जा प्राप्त नही हुआ है। खाता नं0 477 मौजा बिजौलियां कलां जमाबंदी सम्वत् 2063 से 2066 के अनुसार नाम खातेदार शंकरलाल, रुपलाल, भवानीलाल पिता गुलाब धाकड साकिन नयागावं खातेदार की आराजी नं0 555, 561 कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नं0 1 को 1/3 हिस्सा एंव स्व0 रुपलाल का 1/3 हिस्सा है। स्व0 रुपलाल धाकड की मृत्यू के पश्चात 1/2 हिस्सा वादी का एंव 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नं0 एक का है। खाता नं0 304 मौजा नयागावं जमाबंदी सम्वत् 2061 से 2064 की जमाबंदी के अनुसार आराजी नं0 485 रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा में 1/2 हिस्सा शंकरलाल, रुपलाल, भवानीलाल पिता गुलाब धाकड का है। शेष 1/2 हिस्सों को जिनको खातेदारी प्राप्त है उस बाबत कोई विवाद नही है। उक्त खाते में स्व0 रुपलाल का 1/6 वां हिस्सा है इनकी मृत्यू के पश्चात वादी का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी नं0 एक का 1/4 हिस्सा बनता है। खाता संख्या 31 मौजा थडोदा खसरा नं0 1871/1341 रकबा 4 बीघा की जमाबंदी सम्वत् 2061 से 2064 के अनुसार जो हिस्सा कस्तुरी जोजे गुलाब धाकड के नाम पर अभिलिखित है वह खाता परिवर्तन हो उनके पुत्रों वादी प्रतिवादी नं0 एक एंव स्व0 रुपलाल के नाम पर नही आया है स्व0 रुपलाल के हिस्से की भूमि उनकी मृत्यू के पश्चात हिस्सा अनुसार वादी एंव प्रतिवादी नं0 एक को प्राप्ति होगी। वादग्रस्त जायदाद स्व0 रुपलाल धाकड की मृत्यू के पश्चात उनका हिस्सा बराबर बराबर रुप से वादी एंव प्रतिवादी नं0 एक को प्राप्त हो गया है। **इसीलिये वादी एंव प्रतिवादी नं0 एक को स्व0 रुपलाल धाकड के स्थान पर उनके हिस्से की कृषि भूमि बराबर हक अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 एंव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** के प्रभावनुसार उचित एंव वैध है प्रतिवादी नं0 5 के द्वारा बिना किसी वैध जांच के स्व0 रुपलाल धाकड की मृत्यू के पश्चात तत्काल प्रभाव से प्रतिवादीया नं0 दो स्व0

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलिया(भीलवाड़ा)

अनुचित विधि विरुद्ध एंव प्रभावी उत्तराधिकारी अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरित है। प्रतिवादी नं0 5 द्वारा प्रतिवादी नं0 दो को स्व0 रुपलाल धाकड की कृषि भूमि की खातेदारी दिया जाना विधि के प्रावधानों के विपरित होने से प्रतिवादीया नं0 दो की स्व0 रुपलाल धाकड के सभी कृषि खातो से खातेदारी समाप्त की जाकर वादी एंव प्रतिवादी नं0 एक को समान रुप से खातेदारी प्रदान किया जाना विधि सम्मत है। प्रतिवादीया नं0 दो द्वारा प्रतिवादिया नं0 5 के अधिनस्थ कर्मचारीयों के साथ कुसयोंजन कर जो मूलतः अवैध व शुन्य प्रभावी नामान्तरकरण वादी की बिना जानकारी के खुलवा लिया उसके परिपेक्ष में वादी के स्व0 रुपलाल धाकड की कृषि भूमि में उसके बनने वालो हिस्सो की खातेदारी प्राप्त करने में कोई कानूनी बाधा नही है। क्योकि अवैध रुप से प्रतिवादीया नं0 दो प्राप्त खातेदारी का कोई विधिक प्रभाव नही है। प्रतिवादीया नं0 दो को अपने नाम पर अवैध रुप से स्व0 रुपलाल धाकड की उत्तराधिकारी नही होते हुये भी खातेदारी प्राप्त कर लिये जाने मात्र से व कागजी खातेदार बन जाने से वादग्रस्त जायदाद न तो प्रतिवादीया नं0 दो में निहित हुई है एंव न ही प्रतिवादीया नं0 दो को वादग्रस्त जायदाद का कब्जा प्राप्त हुआ है। प्रतिवादीया नं0 दो द्वारा अवैध रुप से वादग्रस्त जायदाद में प्राप्त खातेदारी का अनुचित लाभ उठाने के उद्देश्य से वादग्रस्त जायदाद पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रतिवादीया नं0 दो द्वारा वादग्रस्त जायदाद में अपने 1/3 हिस्से को विक्रय करने की गर्ज से ग्राहको की तलास की जा रही है क्योंकि प्रतिवादीया नं0 दो विक्रय धन प्राप्त कर उसका दुरुपयोग करने पर तत्पर्य है। प्रतिवादीया नं0 दो द्वारा अवैध रुप से प्राप्त की गयी खातेदारी भूमि पर जबरन कब्जा कर उसका विक्रय कर दिया जाता है तो वादग्रस्त जायदाद विवादो में पड जायेगी एंव वादी न केवल जायदाद के उपयोग से वंचित हो जायेगा अपितू उसे अनावश्यक मूकदमो का सामना करना पडेगा। जिससे वादी के विधिक अधिकारों का हनन होगा प्रतिवादी नं0 दो ने अवैध रुप से अपने पर करवाई गई भूमि का विक्रय करना प्रारम्भ कर दिया है। उसके द्वारा दिनांक 17.12.2007 को प्रतिवादी नं0 3 व 4 को अवैध विक्रय द्वारा भूमि बेची गयी है। दिनांक 17.12.2007 को विक्रय मूलतः अवैध व शुन्य है इसीलिये उसे निरस्त कराने की आवश्यकता नही है। वादी वादपत्र अनुसार उस भूमि की खातेदारी पाने का अधिकारी है। वादी वादग्रस्त जायदाद में अपने व स्व0 रुपलाल धाकड के सारे प्राप्त हिस्से प्रत्येक खाते की कूलीया जायदाद का सूरक्षित उपयोग करने के लिये प्रतिवादीगण क्रमांक 1 व 2 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादी नं0 एक किन्ही अदृश्य कारणों से प्रतिवादी नं0 दो का सहयोग कर वादी को स्व0 रुपलाल धाकड के हिस्से में से प्राप्त हिस्से की खातेदारी प्राप्त करने से वंचित करना चाह रही है। दिनांक 08.11.2007 को स्व0 रुपलाल धाकड की मृत्यू होने के सवा महिना निकलने के पश्चात वादी ने प्रतिवादी नं0 5 के यहा से रिकार्ड प्राप्त कर स्व रुपलाल धाकड के हिस्से की कृषि भूमि में अपने व प्रतिवादी नं0 एक के नाम पर नामान्तरकरण खुलवाने का प्रयास किया तो जानकारी हुई की प्रतिवादीया नं0 दो ने स्व0 रुपलाल धाकड के 12 दिनों में ही भूमि अपने नाम करवाने का आवेदन प्रतिवादी नं0 एक का सहयोग प्राप्त कर दिया है। दिनांक 16.12.2007 को वादी ने प्रतिवादी नं0 एक व दो से स्व0 रुपलाल धाकड के **हिस्से में से अपना हिस्से की मांग करते हुये खाता वादी के नाम पर करवाने को** कहा तो प्रतिवादी नं0 एक व दो इंकार हो गये एंव वादी के वादग्रस्त जायदाद में हिस्से व कब्जे से इंकार कर दिया इस कारण विनाय दावा उत्पन्न हो सतत रुप से जारी है। वादी को वर्णित भूमि में उसके बनने वाले वैध हिस्से का खातेदार **काश्तकार घोषित किया जाने की डिक्री वहय वादी विरुद्ध प्रतिवादी नं0 1, 2, व 5 के सादिर फरमाई जावे। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 तक को इस आशय की स्थाई** निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी को कूलीया वादग्रस्त जायदाद पर वादी के बनने वाले हक हिस्से पर उसे काश्त करने से नही रोके न ही उसके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न करे। प्रतिवादी नं0 दो को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त जायदाद की खातेदारी प्राप्त करने के पश्चात अवैध व शुन्य प्रभावी विक्रयपत्र जायदाद का अन्य को अन्तरण

उप खण्ड अधिकारी
बिजोलिया (शाहपुरा)

प्रदान करने व राजस्व अभिलेखो में प्रतिवादी नं0 दो का सहयोग करते हुये खाता परिवर्तन करे। प्रतिवादी नं0 3 व 4 को प्रतिवादी नं0 दो द्वारा निष्पादित करवाये गये विक्रयपत्र के आधार पर न तो खाता परिवर्तन करावे एंव न ही अवैध व शुन्य प्रभावी विक्रयपत्र के आधार पर वादग्रस्त जायदाद पर वादी को बेदखल कर कब्जा करे। वादपत्र डिक्री फरमाई जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगणो की तलबी जरिये रागन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गई।

प्रतिवादीगण 1 से 5 की ओर से श्री कैलाशचन्द्र तम्बोली अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अधिकार पत्र मय जवाबदावा प्रस्तुत किया।

जवाबदावे में प्रतिवादीगण ने अंकित किया कि प्रार्थी के पिता गुलाब के तीन पुत्र क्रमशः शंकरलाल, रुपलाल, भवानीलाल हुये रुपलाल की मृत्यू हो गयी प्रतिवादी नं0 2 श्रीमती नन्दू बाई मृतक रुपलाल की पत्नि है। प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्सा है। स्व0 रुपलाल धाकड का विवाह हिन्दु विधि एंव जाति रिवाज के अनुसार प्रतिवादी श्रीमती नन्दू बाई के साथ हुआ। नन्दू बाई के कोई जायन्दा ओलाद नही है रुपलाल की एक मात्र उत्तराधिकारीणी गु0 नन्दू बाई है। दिनांक 17.12.2007 को प्रतिवादी नन्दू बाई को अपने निजी घरेलू जरुरत से रकम की आवश्यकता होने से ग्राम नयागावं में स्थित आराजी नं0 219, 220, 272, 275, 469, 642, 1271/639, 1274/633, 1277/634, 1286/632 कुल किता 10 रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा भूमि में से 1/3 हिस्से नरेश कुमार पिता भवानीलाल धाकड निवासी नयागावं को 75000 रुपयों में भूमि विक्रय कर दी व विक्रयपत्र का पंजीयन प्रतिवादी नरेश कुमार के पक्ष में दिनांक 17.12.2007 को करा दिया। इसी प्रकार ग्राम केशूविलास में स्थित आराजी नं0 370/155 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्रतिवादीया नन्दू ने अपनी निजी घरेलू जरुरत में रकम की आवश्यकता होने से 51000 रुपयों में उक्त भूमि प्रतिवादीगण राजूलाल, नरेश कुमार पिता भवानीलाल धाकड निवासी नयागांव को दिनांक 17.12.2007 को विक्रय कर दी व विक्रयपत्र का पंजीयन करा दिया। प्रतिवादी नन्दू बाई ने गौजा बिजौलियां कंला में स्थित आराजी नं0 555 से 561 किता 2 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि में से 1/3 हिस्सा 21000 रुपयों में दिनांक 25.03.2008 को प्रतिवादी नरेश कुमार पिता भवानीलाल धाकड निवासी नयागांव को विक्रय कर दी व विक्रयपत्र का पंजीयन करा दिया। प्रतिवादी नंन्दू ने गौजा नयागाव में स्थित आराजी नं0 301/198, 209, 215, 216 कुल किता 4 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण राजूलाल, नरेश कुमार पिता भवानीलाल धाकड निवासी नयागांव को दिनांक 25.03.2008 को 51000 रुपयों में विक्रय कर दी व विक्रयपत्र का पंजीयन करा दिया। प्रतिवादी नन्दू ने गौजा नयागाव में स्थित आराजी नं0 485, 1258/391, 277 कुल किता 3 रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा में से 1/6 हिस्सा दिनांक 25.03.2008 को 51000 रुपयो में प्रतिवादी राजूलाल, नरेश कुमार पिता भवानीलाल धाकड निवासी नयागांव को भूमि विक्रय कर दी व विक्रयपत्र का पंजीयन करा दिया। विक्रय की गई भूमि प्रतिवादीगण नरेश कुमार राजूलाल के कब्जे काश्त मे है विक्रय की गयी भूमि में वादी को किसी प्रकार का हक अधिकार नही है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा कोई अनुतोष मांगना विधी विरुद्ध होकर वादी का वाद पत्र शुन्य प्रभावी होकर खारीज योग्य है।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां(भीलवाड़ा)

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने वादपत्र के साथ नकल जमाबंदी, नक्शा ईस, प्रस्तुत किया है।

प्रतिवादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है।

वादपत्र व प्रतिवाद पत्र के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई।

2. आया कि स्व0 रुपलाल धाकड विवाहित पत्नि नाथी बाई थी श्रीमती नन्दू बाई से स्व0 रुपालाल धाकड ने विवाह नही किया। श्रीमती नन्दू बाई स्व0 रुपलाल धाकड की उत्तराधिकारी नही होकर वादी एंव प्रतिवादी नं0 एक स्व0 रुपलाल के उतराधिकारी है। ....जिम्मेवादी
3. आया कि स्व0 गुलाब धाकड की मृत्यू के पश्चात वादपत्र में वर्णित आराजीयात में स्व0 रुपलाल धाकड की मृत्यू के पश्चात श्रीमती नन्दू के नाम पत्नि के रुप में उत्तराधिकारी मानकर खोला गया खाता व प्रदत खातेदारी अवैध व शुन्य है। वादी व प्रतिवादी नं0 एक के नाम पर स्व0 रुपलाल धाकड के हिस्से की भूमि भूमि दर्ज किया जाना वैध है। ....जिम्मेवादी
4. आया कि श्रीमती नन्दू बाई को प्रदत अवैध खातेदारी का अनुचित लाभ उठा लिया गया। अन्तरण अवैध व शुन्य है उन विक्रयपत्र व अन्तरण का वादी व प्रतिवादी नं0 एक को स्व0 रुपलाल धाकड के हिस्से की भूमि की खातेदार प्रदान किये जाने में वैधानिक अवरोध नही है। ....जिम्मेवादी
5. आया कि वादी अपनी खातेदारी भूमि का मिट्स व बाउन्ड्स के आधार पर विभाजन कराने का अधिकारी है। ....जिम्मेवादी
6. आया कि श्रीमती नन्दू बाई द्वारा प्रतिवादी नं0 3 व 4 को किये गये विक्रय पत्रों का वाद पर क्या प्रभाव है। ....जिम्मे प्रतिवादी
7. आया कि श्रीमती नन्दू बाई द्वारा किये गये विक्रय पत्रों के आधार पर क्रेता प्रतिवादी नं0 3 व 4 का कब्जा है। ....जिम्मे प्रतिवादी

साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू. 1 शंकरलाल पिता गुलाब धाकड निवासी नयागांव तहसील बिजौलियां के बयान करवाये गये।

बयान में लिखवाया कि मेरे पिता गुलाब धाकड की मृत्यू हो गई। गुलाब धाकड के तीन लडके है मैं स्वयं, रुपलाल, भवानीलाल है। रुपलाल धाकड की भी मृत्यू हो गई है। वर्तमान में गुलाब धाकड के दो पुत्र मैं स्वयं, भवानीलाल जीवित है। इनके अलावा गुलाब धाकड के कोई सन्तान नही है तथा हमारी मॉं भी जीवित नही है। रुपलाल धाकड का विवाह नाथी बाई निवासी जोलास से हुआ। नाथी बाई के पिता का नाम रतनलाल है। नाथी बाई रुपलाल धाकड को 15 –20 वर्ष पूर्व छोडकर चली गई। जिसका अब तक कोई अता पता नही है। नाथी बाई के चले जाने के बाद रुपलाल धाकड ने अन्य किसी से भी विवाह नही किया। रुपलाल धाकड ने किसी भी नन्दू बाई नाम की औरत से विवाह नही किया। नन्दू बाई का वादग्रस्त जमीन में कोई हक अधिकार नही है। नन्दू बाई के पति का नाम गोपाललाल धाकड निवासी जलेरी है। हमारे पूर्वजो की जमीन बिजौलियां कलां व मानपुरा में स्थित है। इसी प्रकार मेने केशुविलास व अडोदा में भी माता के नाम जमीन है। नयागाव में अन्दाजन 15 बीघा व मानपुरा में 10 बीघा केसुविलास में 7 बीघा व बिजौलियां कला में ढाई बीघा जमीन है। गुलाब धाकड की मृत्यू के पश्चात गुलाब धाकड की जमीन हम तीनों भाईयों के नाम आ गई तथा इन जमीनों में तीनों का 1/3 हिस्सा है। मृत्यू के बाद सभी जगह की जमीने आधी मेरे व आधी भवानीलाल के कब्जे में आ गई। इसी अनुसार खाते खुलने चाहिये थे। नन्दूबाई ने रुपलाल धाकड की पत्नि बनकर खाता अपने नाम करा लिया। नन्दूबाई रुपलाल धाकड की अवैध पत्नि होकर खातेदारी प्राप्त करने की अधिकारी नही है। उसने अवैध रुप से खातेदारी प्राप्त कर जमीन बैचने का अधिकार नही था फिर भी उसने जमीन नरेश व राजूलाल पिता भवानीलाल धाकड को बेच दी। भवानीलाल ने नन्दू से मिलकर रुपलाल धाकड के हिस्से की जमीन की रजिस्ट्री अपने पुत्रों के नाम करवाली और भवानीलाल को यह जानकारी थी कि नन्दू रुपलाल धाकड की पत्नि नही है। रुपलाल धाकड के हिस्से वाली जमीन में से मेरा आधा हिस्सा बनता है। रजिस्ट्री खारिज की जाकर नरेश व राजूलाल का नाम खाते से हटाया जाकर जमीन मेरे खाते की जावे। जमीन बैचने मात्र से मेरे हक अधिकार समाप्त नही हुये है। नन्दू बाई ने रुपलाल धाकड का हिस्सा देने से मना कर दिया अडोदा वाली जमीन जो मेरी मॉं के

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां(भीलवाड़ा)

प्रदर्श 1 है। ग्राम नयागावं की नकल जमाबंदी की पेश की है जो प्रदर्श 2 है, और ग्राम मानपुरा की नकल जमाबंदी की पेश की है जो प्रदर्श 3 है व ग्राम केशुविलास की नकल जमाबंदी पेश की है जो प्रदर्श 4 है। इसी प्रकार ग्राम थडोदा की नकल जमाबंदी पेश की है जो प्रदर्श 5 है। ग्राम नयागावं की नकल जमाबंदी पेश की है जो प्रदर्श 6 है। नामान्तरकरण की नकल पेश की है जो प्रदर्श 7 है। जिरह में लिखवाया कि गुलाब धाकड के तीन लडके है मैं स्वयं, रुपलाल, भवानीलाल है। रुपलाल धाकड की कोई सन्तान नही है यह कहना गलत है कि रुपलाल से नन्दू बाई विवाहित पत्नि हो बल्कि नातायत पत्नि थी। रुपलाल की विवाहिता पत्नि नाथी बाई थी। यह कहना सही है कि विवादीत जमीन पुश्तैनी है और यह सही है कि गुलाब धाकड की जमीन में हम तीनों भाईयो का 1/3 हिस्सा है। यह सही है कि नन्दू बाई ने नरेश को अपने हिस्से की जमीन बेची है। यह मुझे पता नही है कि नयागाव की जमीन 75000 रुपयो में नरेश व राजूलाल को बेच दी है। यह सही है कि मेने रजिस्ट्री खारिज कराने का कोई दावा नही किया है रुपलाल को मरे 5 साल हो गये है, यह कहना गलत है कि विवादीत जमीन में मेरा 1/3 हिस्से पर कब्जा है मेरा आधी जमीन पर कब्जा है और रुपलाल धाकड की जमीन पर मेरा कभी कब्जा नही रहा है।

साक्ष्य प्रतिवादी में डी.डब्ल्यू 1 राजूलाल पिता भवानीलाल धाकड निवासी बडा नयागावं तहसील बिजौलियां के बयान करवाये गये।

बयान में लिखवाया कि हमारे खेती की जमीन नयागाव में 10 बीघा है, मानपुरा में 8 बीघा जमीन है, केशुविलास में 1 बीघा शामलाती में जमीन है, थडोदा में 1 बीघा जमीन है व बिजौलियां में 16 बिस्वा जमीन सभी शामलाती है। गुलाब धाकड के तीन लडके है मैं स्वयं, रुपलाल, भवानीलाल है। जिसमें से रुपलाल की मृत्यू हो चुकी है। रुपलाल की पत्नि का नाम नन्दू बाई है। मेने व मेरे भाई नरेश ने नन्दू बेवा रुपलाल से जमीन केसुविलास की साढे छः बिस्वा नयागावं में 4–5 बीघा, बिजौलियां की 8 बिस्वा जमीन खरीदी। सभी जमीनों की रजिस्ट्री कराई। सभी जमीने हमारे नाम पर आ गई। यह बात सही है कि गुलाब धाकड के मरने के बाद वादी शंकरलाल के 1/3 हिस्सा पाती में आया। जमीन खरीदी उसकी रजिस्ट्री सही तरीके से कराई फर्जी तरीके से नही। रुपलाल के एक ही वारीस नन्दू बाई है और कोई वारीस नही है। जो हिस्सा हमने खरीदा उस पर खेती बाडी हम ही कर रहे है। जिरह में लिखवाया की मे बारहवी पास हुँ मेरी जन्म तारीख 1.07.1983 है मेरे दादाजी का नाम गुलाब धाकड है। रुपलाल धाकड की मृत्यू वर्ष 2008 में हुई थी मरे तब उनकी उम्र कितनी थी मुझे पता नही है। मेने गुलाब धाकड को नही देखा। जमीन का बटवारा नही हुआ, खाता शामलाती है। गुलाब धाकड की पत्नि का नाम कस्तुरी बाई था। रुपलाल की विवाहिता पत्नि का नाम नाथी बाई पुत्री रतनलाल निवासी जोलास हो तो मुझे इसका पता नही है। यह भी मुझे पता नही है कि नन्दूबाई गोपाललाल की पत्नि होकर उसके पिता का नाम देवा जी हो ओर वह लक्ष्मीखेडा की रहने वाली हो। जलेरी का नयागाव का नाम हमने सुना है यदि नन्दू बाई जलेरी के नयागाव में रहती हो तो पता नही। मुझे यह भी पता नही की नन्दूबाई अपने विवाहित पति गोपाललाल को छोडकर रुपलाल के साथ रहना शुरु कर दिया हो। यह कहना गलत है कि नन्दू बाई ने रुपलाल के साथ हिन्दू रिवाज के अनुसार शादी नही की है। नन्दू बाई जिन्दा है और वह 55 साल की है। यह बात सही है कि रुपलाल मेरे पिता के साथ नही रह कर अलग रहते थे। नन्दू बाई अलग रह रही है। हमने जवाब में पेश किया कि नन्दू बाई का राशनकार्ड या उसका मतदाता पहचान पत्र पेश किया फाईल देखकर बताया कि इसमें लगा हुआ नही है। नन्दूबाई रुपलाल के पास आई तब उसकी उम्र 37 से 38 साल रही है। नन्दू बाई का पति गोपाललाल आज भी जीवित है। नन्दू बाई के नाम जमीन कब आई मुझे पता नही। रजिस्ट्री की तारीख भी याद नही है यह सही है कि हमारे विवाद की बातचित हुई तब हमने रुपलाल से नन्दूबाई का नाम डलवाया फिर विक्रयनामा करवाया। मुझे मेरे कब्जे वाली जमीन के आराजी नं0 व शंकरलाल के कब्जे वाली जमीन के आराजी नं0 मुझे याद नही है। यह बात गलत है कि हम दोनाओ ने गोलमोल कर भवानीलाल व

उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां(भीलवाड़ा)

नन्दू बाई के इस षडयंत्र में शामील कर जमीन का विवाद कराया। कौन कौन सी जमीन के कितने कितने रुपये दिये गुई पता नही है पर यह कहना गलत है कि हमने कागजी रजिस्ट्री कराई है और कोई लेन देन नही किया हो।

हमने प्रकरण का अवलोकन किया प्रकरण को गुणावगण के आधार पर शिविर में निस्तारण हेतु उभयपक्षकारान अधिवक्तागण ने निवेदन किया तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है:-

तनकी नं0 1:-
आया कि स्व0 गुलाब धाकड के तीन पुत्र वादी प्रतिवादी नं0 एक स्व0 रुपलाल है।

इस तनकी को सिद्व कराने का भार वादी पर है। वादी ने इस तनकी के समर्थन में वादी पी0डब्ल्यू 1 शंकरलाल व डी0डब्ल्यू 1 राजू धाकड निवासी बडा नयागांव ने अपने बयानों में लिखवाया कि गुलाब धाकड के हम तीन संताने है इस तथ्य को वादी एंव प्रतिवादी ने स्वीकार किया है तथा वादी ने अपने वादपत्र में भी गुलाब धाकड के तीन संतान होना अंकित किया है। अतः तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी नं0 2:-
आया कि स्व0 रुपलाल धाकड विवाहित पत्नि नाथी बाई थी श्रीगती नन्दू बाई से स्व0 रुपलाल धाकड ने विवाह नही किया। श्रीमती नन्दू बाई स्व0 रुपलाल धाकड को उत्तराधिकारी नही होकर वादी एंव प्रतिवादी नं0 एक स्व0 रुपलाल के उतराधिकारी है। इस तनकी को सिद्व कराने का भार वादी पर है वादी ने इस तनकी के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। जिससे यह माना जावें कि प्रतिवादी नं0 2 नंदू बाई वादी के भाई रुपलाल की पत्नि नही थी। प्रतिवादी डी0डब्ल्यू 1 ने बयान में लिखवाया कि रुपलाल की पत्नि नंदू बाई है। अतः यह तनकी वादी के विरुद्व तय की जाती है।

तनकी नं0 3 व 4:-
आया कि स्व0 गुलाब धाकड की मृत्यू के पश्चात वादपत्र में वर्णित आराजीयात में स्व0 रुपलाल धाकड की मृत्यू के पश्चात श्रीमती नन्दू के नाम पत्नि के रुप में उत्तराधिकारी मानकर खोला गया खाता व प्रदत खातेदारी अवैध व शुन्य है। वादी व प्रतिवादी नं0 एक के नाम पर स्व0 रुपलाल धाकड के हिस्से की भूमि दर्ज किया जाना वैध है। श्रीमती नन्दू बाई को प्रदत अवैध खातेदारी का अनुचित लाभ उठा लिया गया। अन्तरण अवैध व शुन्य है उन विक्रयपत्र व अन्तरण का वादी व प्रतिवादी नं0 एक को स्व0 रुपलाल धाकड के हिस्से की भूमि की खातेदार प्रदान किये जाने में वैधानिक अवरोध नही है।

सका तनकीयात को सिद्व कराने का भार वादी पर है अवैध पत्नि होने के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है पत्रावली में संलग्न दस्तावेज विक्रय पत्र में भी विक्रेता नंदूबाई ने 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि धापुदेवी पत्नि पन्नालाल धाकड निवासी बडानया गांव को विक्रय की है। विक्रेता के रुप में भी वादी, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हस्ताक्षर है। रुपलाल की पत्नि होना जमाबंदी सम्वत् 2062 से 2065 में अंकित विरासत के नोट में रुपलाल के बजाय नंदू बेवा रुपलाल का नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 1773 दिनांक 05.12.2007 से स्पष्ट है। वादी ने नंदूबाई के अवैध होने का दस्तावेज भी प्रस्तुत नही किया है। पत्रावली में सलग्न राशनकार्ड रुपलाल पिता गुलाब धाकड निवासी बडानया गांव वर्ष 1999 रुपलाल की पत्नि के रुप में नंदू बाई का नाम दर्ज है। अतः यह तनकी वादी के विरुद्व तय की जाती है।

तनकी नं0 5 :—
आया कि वादी अपनी खातेदारी भूमि का मिट्स व बाउन्डस के आधार पर विभाजन कराने का अधिकारी है। इस तनकी को सिद्व कराने का भार वादी पर है वादी ने अपने वाद पत्र के अनुतोष में विभाजन कराने के संबंधित किसी प्रकार की मांग नही की गई है। तथा तनकी नं0 3 व 4 वादी के विरुद्व तय की गई है अतः विभाजन कराने का अधिकारी नही है अतः यह तनकी वादी के विरुद्व तय की जाती है।

तनकी नं0 6 व 7:—
आया कि श्रीमती नन्दू बाई द्वारा प्रतिवादी नं0 3 व 4 को किये गये विक्रय पत्रों का वाद पर क्या प्रभाव। श्रीमती नन्दू बाई द्वारा किये गये विक्रय पत्रों के आधार पर क्रेता प्रतिवादी नं0 3 व 4 का कब्जा है। उक्त तनकीयात को सिद्व कराने का भार प्रतिवादी पर है नंदूबाई प्रतिवादी नं0 2 ने शामलाती खाते की भूमि की हिस्सेदार होने से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ मिलकर संयुक्त रुप से जमीन का बैचान किया है। उप पंजियक के समक्ष प्रस्तुत कर पंजीयन कराया है तथा पंजीयन के आधार पर विक्रय की गई भूमि का कब्जा प्रतिवादी नं0 3 व 4 का है। विक्रयपत्रों के पंजीयन दस्तावजों की फोटोप्रति संलग्न है। नंदू के नाम पर नामान्तरकरण खुला उसके विरुद्व भी वादी ने किसी प्रकार की कार्यवाही विरोध स्वरुप नही की गई। उक्त विक्रपत्रों के निरस्तीकरण के संबंध में वादी द्वारा क्या कार्यवाही की गई इस संबंध में वादी द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकीयात के निर्णय के आधार पर वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 88—188—53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 15.05.2018 को मुकाम थडोदा पर लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

15/05/18

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया
(कैम्प थडोदा)